

(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/40-54

Dated 30th March, 2015

NOTIFICATION

NO. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/ -. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 27th March, 2015 and is hereby published for general information:-

**“THE DELHI VALUE ADDED TAX (1ST AMENDMENT) ACT, 2015
(DELHI ACT 03 OF 2015)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 25th March, 2015)

[27th March, 2015]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (3 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (i) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (1st Amendment) Act, 2015.

(ii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 11-** In the principal Act, in section 11, in sub-section (2), for the clause (b) and the explanations appended thereto, the following clause and explanations shall be substituted, namely:-

“(b) be entitled to carry forward the amount remaining after application under sub-section (2)(a) to next calendar month or tax period, as the case may be, or to claim a refund of the amount remaining after application under sub-section (2)(a) at the end of a tax period and the Commissioner shall deal with the refund claim in the manner described in section 38 and section 39 of this Act.

Explanation-1. Refund can be claimed at the end of a tax period only.



Explanation-2. Excess payment made inadvertently shall also be treated as credit in a month or tax period as the case may be".



(DR. SAURABH KULSHRESHTHA)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवों तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(2)/एलए-2015/cons2law/4b-54

दिनांक 30 मार्च, 2015

अधिसूचना

सं० फा० 14(2)/एलए-2015/cons2law/ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 27 मार्च, 2015 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथमसंशोधन) अधिनियम, 2015
(2015 का दिल्ली अधिनियम 03)

(25 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[27मार्च, 2015]

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम ।

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा भारतीय गणराज्य के 68वें वर्ष में निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाए :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ .- (1) इस विधेयक को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।
2. धारा 11 का संशोधन .- मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा इससे जुड़ी व्याख्याओं के स्थान पर निम्नलिखित खंड और व्याख्याएं प्रतिस्थापित की जायेंगी।

“(ख) उपधारा (2)(क) के अन्तर्गत आवेदन के पश्चात् शेष राशि आगामी कैलेंडर माह में या कर अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, अग्रेषित की जा सकेगी या कर अवधि के उपरान्त उपधारा (2)(क) के अन्तर्गत आवेदन आने के पश्चात् शेष राशि की वापसी का दावा किया जा सकेगा और आयुक्त इस अधिनियम की धारा 38 एवं 39 में निर्धारित पद्धति से धन वापसी के दावे का निपटान करेगा।

व्याख्या-1: केवल कर अवधि के पश्चात् ही धन वापसी का दावा किया जायेगा।

व्याख्या-2: अनजाने में किये गये अधिक भुगतान किसी माह में या कर अवधि, जैसी भी स्थिति हो, क्रेडिट के रूप में माना जायेगा।”



(डा० सौरभ कुलश्रेष्ठ)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)